



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26112020-223347
CG-DL-E-26112020-223347

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 608]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 26, 2020/आग्रहायण 5, 1942

No. 608]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 26, 2020/AGRAHAYANA 5, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 739(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुछ नियमों में और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रस्तावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना की प्रतियां, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के बारे में आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे अथवा director-morth@gov.in; पर ई-मेल किए जा सकेंगे।

इन प्रारूप नियमों के बारे में आक्षेप या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इन नियमों को केंद्रीय मोटर यान (..... संशोधन) नियम, 2020 कहा जा सकता है, (2) इन नियमों में यथा निहित, ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के (इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित), नियम 47, उप-नियम (1) में, खंड 1 के पश्चात् निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“नामित के पहचान का प्रमाण, (एम) यदि कोई हो”;
3. उक्त नियमों में, नियम 55 में, उप-नियम (2) में, खंड 3 के पश्चात् निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“(iv) नामिती के पहचान का प्रमाण, यदि कोई हो”;
4. उक्त नियमों में, नियम 56 में, उप-नियम (2) में, खंड (ड.) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“(च) नामिती के पहचान का प्रमाण, यदि कोई हो”;
5. उक्त नियमों में, नियम 56 में, उप-नियम (2) में, निम्नलिखित उप-नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“(3) इस नियम में सन्निहित किसी बात के होते हुए यह नियम वैसे मामलों में लागू होगा जहां नामिती को वाहन के पंजीकृत स्वामी द्वारा निर्दिष्ट किया गया है”;
बशर्ते कि नामित अपने आवासीय राज्य अथवा व्यापार के स्थान में किसी पंजीकरण प्राधिकारी को पोर्टल के माध्यम से सूचित करेगा और अपने नाम में नवीन पंजीकरण प्रमाणपत्र निर्गत कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन करेगा।
6. उक्त नियमों में, नियम 57 में, उप-नियम (1) में, खंड (ड.) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“(च) नामिती के पहचान का प्रमाण, यदि कोई हो”;
7. उक्त नियमों में, प्रपत्र 20 में, क्रम सं. 9 के पश्चात् निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“9ए नामिती का नाम
“9बी नामिती के साथ संबंध.....
8. उक्त नियमों में, प्रपत्र 23ए में, मार्जिनल शीर्ष “मशीन रीडेबल जोन”, सारणी में, क्रम सं. 2 में, “स्वामित्व प्रकार” शब्द के पश्चात्, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“नामिती का नाम
नामिती के साथ संबंध.....
9. उक्त नियमों में, प्रपत्र 24 में, खंड 3 में, “वर्तमान पता” शब्द के पश्चात्, निम्नलिखित शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“नामिती का नाम, नामिती के साथ संबंध”
10. उक्त नियमों में, प्रपत्र 30 में, भाग II में, प्रथम पैराग्राफ के पश्चात्, निम्नलिखित पैराग्राफ को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं किइस वाहन का नामिती है जो मेरा/हमारा है”
11. उक्त नियमों में, प्रपत्र 31 में, क्रम सं. 5 के पश्चात्, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“6. नामिती का नाम
7. नामिती के साथ संबंध.....”
12. उक्त नियमों में, प्रपत्र 32 में, प्रथम पैराग्राफ के पश्चात्, निम्नलिखित पैराग्राफ को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं किइस वाहन का नामिती है जो मेरा/हमारा है”

टिप्पण 1. वाहन के पंजीकृत स्वामी के मृत्यु के पश्चात वाहन का स्वामित्व नामित को स्थानांतरित हो जाएगा।

[सं. आरटी-11036/126/2020-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम 2 जून 1989 की अधिसूचना संख्या सा. का. नियम 590(अ.) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार दिनांक की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.(अ.) के तहत संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2020

G.S.R. 739(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL), email: director-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. Short Title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (.....Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In Central Motor Vehicle Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules) in rule 47, in sub-rule (1), after clause (l), the following clause shall be inserted, namely: -

“(m) proof of identity of nominee, if any”;

3. In the said rules, in rule 55, in sub-rule (2), after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely: -

“(iv) proof of identity of nominee, if any”;

4. In the said rules, in rule 56, in sub-rule (2), after clause (e), the following clause shall be inserted, namely: -

“(f) proof of identity of nominee, if any”;

5. In the said rules, in rule 56, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

“(3) Notwithstanding anything contained in this rule shall apply in case where the nominee has been specified by the registered owner of the vehicle:

Provided that the nominee shall inform any registering authority in the state of his residence or place of business through the portal and apply for a fresh certificate of registration in his/her name electronically.

6. In the said rules, in rule 57, in sub-rule (1), after clause (e), the following clause shall be inserted, namely: -

“(f) proof of identity of nominee, if any”;

7. In the said rules, in FORM 20, after serial number 9, the following shall be inserted, namely: -

“9A. Name of the Nominee.....

9B. Relationship with the Nominee.....

8. In the said rules, in FORM 23A, in the marginal heading “Machine Readable Zone”, in the table, in serial number 2, after the words “ownership type”, the following shall be inserted, namely: -

“Nominee Name

Relationship with the nominee”

9. In the said rules, in FORM 24, in column 3, after the words “present address”, the following words shall be inserted, namely: -

“Nominee name, relationship with the nominee”

10. In the said rules, in FORM 30, in Part II, after first paragraph, the following paragraph shall be inserted, namely: -

“I/We hereby declare as the nominee for this vehicle who is my/our”

11. In the said rules, in FORM 31, after serial number 5, the following shall be inserted, namely: -

“6. Nominee Name.....

7. Relationship with the nominee.....”

12. In the said rules, in FORM 32, after first paragraph, the following paragraph shall be inserted, namely: -

“I/We hereby declare as the nominee for this vehicle who is my/our”

Note 1: After the death of the registered owner of the vehicle, the ownership of vehicles shall be transferred to nominee.

[No. RT-11036/126/2020-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. _____(E) dated _____.